



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236571
CG-DL-E-14062022-236571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2597]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 2597]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2725(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले में NH26 के कि.मी. 44.7 से कि.मी. 48.8 (बोलांगीर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाज" को "सम्बाद" और "२२. ०४. २०२२" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले में NH26 के कि.मी. 44.7 से कि.मी.48.8 (बोलांगीर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा जिले का नाम: बलांगीर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आगलपुर				
	गांव का नाम: झारबांधली				
1	524	सरकारी(रखित)	रखित	0.6301093	रखित (524)
	गांव का नाम: सलभात				
2	1243	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0024282	उदयनाथ सारंगी,धनपति सारंगी,लखपति सारंगी,एँस्/ओ-घसीराम सारंगी (1243)
3	1244	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0032376	उदयनाथ सारंगी,धनपति सारंगी,लखपति सारंगी,एँस्/ओ-घसीराम सारंगी (1244)
4	1464	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0036423	महेश्वर साहू,एँस्/ओ-पूर्ण चंद्र साहू (1464)
5	1490	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0020235	बंसी नाइक,बाबाजी नाइक,रणजीत नाइक,धर्म नाइक,एँस्/ओ-जुगेश्वर नाइक,मिकेटन नाइक,डबल्यू/ओ-जुगेश्वर

					नाइक (1490)
			कुल	0.6414409	

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2725(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of NH-26 for widening and strengthening of double lane with paved shoulder from Km 44.7 to Km 48.8 in the district of BALANGIR of ODISHA state.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Samaj*” and “*The Sambad*” both dated 22.04.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received and the same has been considered by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH26 in the stretch of land from Km. 44.7 to Km 48.8 of NH26 in the district of BALANGIR in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: BALANGIR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Agalpur				
	Village: Jharabandhali				
1	524	Government(Rakhita)	Rakhita	0.6301093	RAKHITA 524
	Village: Salebhata				
2	1243	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0024282	Udaynath Sarangi,Dhanapati Sarangi,Lakhapati Sarangi,S/o-Ghasiram Sarangi 1243
3	1244	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0032376	Udaynath Sarangi,Dhanapati Sarangi,Lakhapati Sarangi,S/o-Ghasiram Sarangi

					1244
4	1464	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0036423	Maheswar Sahu,S/o-Purna Chandra Sahu 1464
5	1490	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0020235	Bansi Naik,Babaji Naik,Ranjit Naik,Dharam Naik,S/o-Jugeswar Naik,Minketan Naik,W/o-Jugeswar Naik 1490
			TOTAL	0.6414409	

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D1]

RAJESH GUPTA, Director